भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.78

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 01 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना'

78. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में, विशेषकर भागलपुर लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना के अंतर्गत बिहार राज्य तथा उक्त लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि कितनी है तथा इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी, हाँ। सरकार ने कोविड-19 से बचाव संबंधी प्रयासों में गरीबों की मदद के लिए दिनांक 26.3.2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) की घोषणा की थी। पीएमजीकेवाई ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम-किसान, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के मौजूदा लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया है जिसमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया है। पीएमजीकेवाई के तहत बिहार और बिहार के भागलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए।

पीएम-जीकेएवाई वर्तमान में सक्रिय है और इसका विस्तार दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु इस योजना को एनएफएसए के साथ एकीकृत किया गया है।

(ग) और (घ): पीएम-जीकेएवाई के भाग के रूप में, बिहार राज्य सरकार ने निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु इस अधिनियम के तहत राज्य के लिए निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा अर्थात 871.16 लाख लाभार्थियों की पहचान की है। केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचन क्षेत्र-वार लाभार्थी संबंधी डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। पीएमजीकेएवाई के तहत, लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की जाती है- लागू दिशनिर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत अभिज्ञात परिवार और शेष परिवार, जिन्हे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासन द्वारा राज्य/संघ राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के तहत, उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में पहचाना जाएगा। इस प्रकार, प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के तहत लाभार्थियों की पहचान के मानदंड अलग-अलग राज्य में भिन्न हो सकते हैं।

*****